न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/158 **दायरा दिनांक : 19.09.2022**

उनवान

1– भैरूलाल उम्र 72 वर्ष आत्मज देवीचन्द जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
2– नाथू सिंह उम्र 70 वर्ष आत्मज परबत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– करण सिंह उम्र 68 वर्ष आत्मज परबत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– शंकर सिंह उम्र 43 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
1/1– दशरथ सिंह उम्र 26 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/2– जसकुंवर उम्र 25 वर्ष पुत्री स्वर्गीय शंकर सिंह
1/3– ईश्वर सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/4– अनोख बाई उम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय शंकर सिंह
2– शिव सिंह उम्र 41 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/159 **दायरा दिनांक : 19.09.2022**

उनवान

1– भैरूलाल उम्र 72 वर्ष आत्मज देवीचन्द जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
2– नाथू सिंह उम्र 70 वर्ष आत्मज परबत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– करण सिंह उम्र 68 वर्ष आत्मज परबत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– शंकर सिंह उम्र 43 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
1/1– दशरथ सिंह उम्र 26 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/2– जसकुंवर उम्र 25 वर्ष पुत्री स्वर्गीय शंकर सिंह
1/3– ईश्वर सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/4– अनोख बाई उम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय शंकर सिंह
2– शिव सिंह उम्र 41 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.08.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या 204/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 19.08.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में ग्राम जामुनिया, तहसील गंगधार में जमाबंदी संख्या नयी 205 पुरानी 223 में खसरा नं. 556 रकबा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 19.08.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 19.08.2021 न्याय, विधि एवं संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा किसी भी प्रकार से अपने वाद को साबित न कर पाने के बावजूद भी वाद को सरसरी तौर पर डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा मय दस्तावेजात के वर्णित कर दिये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बाबत अपने पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री में उक्त प्रतिवादीगण के कब्जे वाली आरामशीन वाली भूमि बाबत उनके 1/4 हिस्से को तय करने बाबत आदेश प्रदान न करने में गंभीर त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा वादीगण रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट के वाद को विधि विरूद्ध रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में गंभीर त्रुटि की है तथा उसी कम में अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 19.08.2021 को भी बिना सूचित किये, बिना नोटिस दिये, बिना प्रस्तावित तहसील बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान किये ही तथा बिना मौके पर उपस्थित होने बाबत सूचित किये ही बनायी गई प्रस्तावित तहसील बंटवारा रिपोर्ट पर अपना अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिकी पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.05.2018 में दिये गये दिशा निर्देश की राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत बंटवारा रिपोर्ट बनाया जाना चाहिए परन्तु उसकी भी पालना कर निर्णय व डिकी पारित कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है। विवादित भूमि के उत्तर दिशा में सड़क से लगवा प्रतिवादीगण अपीलांटगण की आरामशीन गत करीब 40 वर्षो से स्थापित हुई कियाशील अवस्था में वर्तमान तक भी निरन्तर उभयपक्षकारों की जानकारी, सहमति से निरन्तर चलती चली आ रही है, जिसके अनुसार यह हिस्सा भूमि 1/4 के रूप में स्वयं प्रतिवादीगण के हिस्से में तय किया जाना ही कानून सम्मत रूप से आवश्यक होने के बावजूद भी उक्त की पालना न करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 19.08.2021 निरस्त की जावे।

2024

(ममता कुमारी, [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.07.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमें प्राथमिक डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आराजी में हमारा 40 वर्षो से आरा मशीन की जगह पर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण नियमानुसार 0.05 बीघा आराजी दी जावे। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्राथमिक डिक्री से उभयपक्ष सहमत होने से प्राथमिक डिक्री यथावत रखी जाती है। प्राथमिक डिक्री के पश्चात अंतिम डिक्री के सम्बन्ध में अपीलांट की आपत्ति है कि उनका कब्जे अनुसार बंटवारा नहीं किया गया तथा उन्हें बंटवारा प्रस्ताव पर नहीं सुना गया। दौराने बहस अपीलांट के अभिभाषक द्वारा आरा मशीन की आराजी खसरा नं. 556 में 0.05 बीघा है, जो उत्तर पूर्व दिशा में बतायी गयी।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट पटवारी तथा आई.एल.आर. द्वारा ही बनायी गयी है तथा अपीलांट को मौके पर बुलाने का कोई उल्लेख नहीं है। तहसीलदार मौके पर नहीं गये। ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं है कि पक्षकारों को मौके पर बुलाया गया एवं उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार किया हो।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होते ही सीधे अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी। उक्त बंटवारा रिपोर्ट पर पक्षकारों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

विवादित आराजी पर खसरा नं. 556 की रकबा 0.05 बीघा में आरा मशीन होने का तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार्य है। उक्त आरा मशीन का लाईसेंस काजीशफी के नाम का प्रस्तुत किया गया है। काजी शफी से आरा मशीन की भूमि रमेश सिंह आत्मज रामनारायण सिंह को विक्रय हुई तथा तत्पश्चात अपीलांट कम 1 लगायत 3 द्वारा क्रय की गई। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि आरा मशीन के लगवा डग चौमहला रोड़ निकल रही है।

राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियम 19 डी व ई के अनुसार सहखातेदार जिस भाग पर काबिज हो उसे वही हिस्सा दिया जाये, यदि वह शेयर से अधिक नहीं हो। वादी शंकर सिंह द्वारा स्वयं ग्राम पंचायत तहरीर में आरा मशीन का कब्जा स्वीकार किया गया है। पूर्व में तहसील द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 29.11.2018 पर वादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर एक तरफा रूप से बिना सुनवाई बंटवारा रिपोर्ट परिवर्तित करना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2022/158 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 यथावत रखा जाता है।

अपील संख्या 2022/159 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 19.08.2021 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना की जावे तथा अपीलांट का आरा मशीन पर लम्बे समय से कब्जा, अपीलांट तथा रेस्पोडेंट द्वारा स्वीकार्य होने से राजस्व मण्डल के नियम 19 डी व ई के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट तैयार की जावे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 36 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– भैरूलाल उम्र 72 वर्ष आत्मज देवीचन्द जी, जाति महाजन, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
2– नाथू सिंह उम्र 70 वर्ष आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– करण सिंह उम्र 68 वर्ष आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी नयाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)

.....अपीलांट

बनाम

1– शंकर सिंह उम्र 43 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक कायम मुकामान :–
1/1– दशरथ सिंह उम्र 26 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/2– जसकुंवर उम्र 25 वर्ष पुत्री स्वर्गीय शंकर सिंह
1/3– ईश्वर सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शंकर सिंह
1/4– अनोख बाई उम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय शंकर सिंह
2– शिव सिंह उम्र 41 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जामुनिया का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार,जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2022/158 व
मु.द.नं 204/2017

नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, गंगधार
निर्णय एवं डिक्री दिनांक – 12.05.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 08 सन् 2024

हाजरी श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से, शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील संख्या 2022/158 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2018 यथावत रखा जाता है।

बावत मेरे हस्ताक्षर वं मोहर अदालत आज तारीख 14 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

14/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)